

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)डीपीसी / 2021-22 / अलेसे-III 759 दिनांक :- 13.08.2021

संबंधित कनिष्ठ लेखाकार,

विज्ञप्ति

विषय:- कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद पर पदोन्नति के लिये संतान संबंधी सूचना प्रेषित करने के क्रम में।

प्रसंग:- विभागीय पूर्व सम संख्यक पत्र क्रमांक 536 दिनांक 15.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में संभावित रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र इस विभाग को भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा अभी तक वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके अभाव में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में प्रकाशित कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 01 से 90 तक (क्र.सं. 47, 49 एवं 83 से 89 तक को छोड़कर) शामिल कनिष्ठ लेखाकारों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में 03 दिवस में आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे अन्यथा विभागीय आदेशों की अवहेलना मानते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक :- एफ.4(ई)डीपीसी / 2021-22 / अलेसे-III 759 दिनांक :- 13.08.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
3. सम्बन्धित समस्त कनिष्ठ लेखाकार।
4. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)